

अध्याय - 2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारित व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मर्दों दत्तमत एवं भारित के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्षण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत किया गया व्यय वास्तविक व्यय है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारित होना चाहिए, वही भारित किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया ऐसा व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2016-17 के दौरान 31 अनुदानों / विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 में दी गयी है।

तालिका-2.1: वर्ष 2016-17 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	कुल समर्पित धनराशि का 31 मार्च को समर्पित धनराशि की प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	28,143.15	835.38	28,978.53	21,427.68	(-)7,550.85	450.00	450.00	100
	II पूँजीगत	5,739.36	647.71	6,387.07	6,587.91	(+) 200.84	160.94	160.94	100
	III ऋण एवं अग्रिम	395.22	15.80	411.02	165.04	(-)245.98	0.00	0.00	0.00
योग-दत्तमत		34,277.73	1,498.89	35,776.62	28,180.63	(-)7,595.99	610.94	610.94	100
भारित	IV राजस्व	4,107.25	8.98	4,116.23	3,844.68	(-)271.55	31.22	31.22	100
	V पूँजीगत	5.00	0.00	5.00	1.90	(-)3.10	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण- पुनर्भुगतान	2,032.23	0.00	2,032.23	5,218.68	(+)3,186.45	0.00	0.00	0.00
योग-प्रभारित		6,144.48	8.98	6,153.46	9,065.26	(+)2,911.80	31.22	31.22	100
आकस्मिकता निधि में विनियोग (यदि कोई हो)		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग		40,422.21	1,507.87	41,930.08	37,245.89	(-)4,684.19	642.16	642.16	100

स्रोत : विनियोग लेखे।

जैसा कि तालिका-2.1 में प्रदर्शित है, ₹ 4,684.19 करोड़ की बचत हुई थी, राजस्व खण्ड (31 प्रकरणों) और पूँजीगत खण्ड (24 प्रकरणों) के अनुदान तथा विनियोगों के अन्तर्गत ₹ 10,141.52 करोड़ की बचत जो पूँजीगत खण्ड (दत्तमत) के अन्तर्गत तीन अनुदानों एवं एक विनियोग पूँजीगत (प्रभारित) खण्ड में ₹ 5,457.33 करोड़ के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई, के परिणामस्वरूप थी।

वर्ष 2016-17 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचत जानकारी में आयी उनका विवरण तालिका-2.2 के अनुसार है।

तालिका-2.2: 2016-17 के दौरान जानकारी में आयी महत्वपूर्ण बचतों का विवरण (₹ 100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र. संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	अनुभाग	धनराशि	कुल धनराशि
1.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व-दत्तमत	1,284.98	1,284.98
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएं	राजस्व-दत्तमत	1,020.53	1,557.75
		राजस्व-भारित	226.69	
		पूँजीगत-दत्तमत	310.53	
3.	10- पुलिस एवं कारागार	राजस्व-दत्तमत	149.77	149.77
4.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	राजस्व-दत्तमत	1,313.18	1,465.91
		पूँजीगत-दत्तमत	152.73	
5.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व-दत्तमत	452.31	452.31
6.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	राजस्व-दत्तमत	416.29	590.74
		पूँजीगत-दत्तमत	174.45	
7.	15-कल्याण	राजस्व-दत्तमत	504.66	504.66
8.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	राजस्व-दत्तमत	252.03	252.03
9.	19-ग्रामीण विकास	राजस्व-दत्तमत	485.65	485.65
10.	20-सिंचाई व बाढ़	राजस्व-दत्तमत	100.57	396.85
		पूँजीगत-दत्तमत	296.28	
11.	21-ऊर्जा	पूँजीगत-दत्तमत	314.05	314.05
12.	22-लोक निर्माण	पूँजीगत-दत्तमत	323.56	323.56
13.	23-उद्योग	राजस्व-दत्तमत	106.40	106.40
14.	25-खाद्य	राजस्व-दत्तमत	171.66	171.66
15.	27-वन	राजस्व-दत्तमत	210.08	210.08
16.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	542.21	660.17
		पूँजीगत-दत्तमत	117.96	
17.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व-दत्तमत	138.15	138.15
योग				9,064.72

स्रोत : विनियोग लेखे।

इसी प्रकार, वर्ष 2016-17 के दौरान जिन विभागों में आवंटन के विरुद्ध महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया उनमें वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ (₹ 3,186.45 करोड़), खाद्य (₹ 2,245.80 करोड़), एवं कृषि कर्म एवं अनुसंधान (₹ 16.08 करोड़) थे।

पर्याप्त बचत / आधिक्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों से अनुरोध करते हुए बचत / आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) को उन्हें सूचित किया गया था (जुलाई 2017)। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (सितंबर 2017)।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के तेरहवें अध्याय के प्रस्तर-121 के अनुसार, अनाधिकृत आधिक्य व्यय करना सबसे आपत्तिजनक है और उससे बचा जाना चाहिए। चार प्रकरणों में, ₹ 7,609.96 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधानों से ₹ 5,457.33 करोड़ अधिक था और प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ से अधिक या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है। इनमें से **अनुदान संख्या. 25-खाद्य (तालिका-2.3)** में पिछले पाँच वर्षों में निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है।

तालिका-2.3: वर्ष 2012-17 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	25-खाद्य	1,810.59	1,775.56	1,738.25	2,203.83	2,245.80

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरन्तर व्ययाधिक्य यह दिखाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए।

2.3.2 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार, निधियों के प्रावधान के बिना योजना / सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि, बिना मूल आकलन / अनुपूरक माँग में कोई प्रावधान एवं बिना इसके पुनर्विनियोजन आदेश के प्रभाव के एक प्रकरण में ₹ नौ करोड़ का व्यय कर दिया गया, जैसा **तालिका-2.4** में वर्णित है।

तालिका-2.4: वर्ष 2016-17 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बिना प्रावधान के व्यय की राशि
1.	29-उद्यान विकास (पूँजीगत-दत्तमत)	9.00

स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2016-17 के दौरान बिना प्रावधान के किये गये व्यय का कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2017)।

2.3.3 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय तेरह का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारत विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है, आधिक्य व्यय संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार माँगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, ₹ 15,323.44 करोड़ का अधिक व्यय पिछले वर्षों 2005 से 2016 से सम्बन्धित व्यय राज्य विधायिका से अब तक नियमित किया जाना शेष है। वर्षवार नियमितीकरण हेतु आधिक्य धनराशि **तालिका-2.5** में सारांशित है।

तालिका-2.5: विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे	प्रावधान से अधिक व्यय की राशि	विनियमन की स्थिति
2005-06	7	7,8,17,20,22,25 एवं 29	663.50	राज्य सरकार द्वारा स्थिति सूचित नहीं की गयी
2006-07	6	7,17,20,22,25 एवं 29	935.92	
2007-08	6	7,17,20, 22,25 एवं 29	733.79	
2008-09	6	7,17,20,22,25 एवं 29	1,146.41	
2009-10	7	7,17,18,21,22,25 एवं 29	1,007.49	
2010-11	9	10,12,15,17,20,21,22,25 एवं 29	1,295.40	
2011-12	5	7,17,22,25 एवं 29	1,611.40	
2012-13	7	12,14,17,21,22,25 एवं 29	1,835.34	
2013-14	3	22,25 एवं 29	1,837.15	
2014-15	4	17,22, 25 एवं 29	1,922.80	
2015-16	4	17,22, 25 एवं 29	2,334.24	
योग			15,323.44	

स्रोत:- विनियोग लेखे।

2.3.4 वर्ष 2016-17 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका-2.6 में वर्ष 2016-17 के दौरान तीन अनुदानों तथा एक विनियोजन में राज्य की संचित निधि (सी एफ एस) से प्रधिकृत से अधिक व्यय ₹ 5,457.33 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.6: 2016-17 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम		कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत-भारित					
1.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	2,032.23	5,218.68	3,186.45
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	108.33	124.41	16.08
2.	25	खाद्य	12.07	2,257.87	2,245.80
3.	29	उद्यान विकास	0.00	9.00	9.00
योग			2,152.63	7,609.96	5,457.33

स्रोत: विनियोग लेखे।

राज्य सरकार / विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को सितंबर 2017 तक सूचित नहीं किया गया था। वर्ष 2016-17 के दौरान अनुदानों के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक किये गये व्यय को राज्य विधानसभा द्वारा विनियमित कर लेना चाहिए।

2.3.5 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 10.03 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान दो प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 2,261.88 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट-2.2)।

2.3.6 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 17 का प्रस्तर 183 यह प्रकट करता है कि वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.3** में सूचीबद्ध 36 मुख्य शीर्षों में वर्ष

2016-17 के कुल व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2017 में अथवा कुल व्यय का 50 प्रतिशत से अधिक के व्यय अन्तिम तिमाही में (जनवरी 2017 से मार्च 2017) में किया गया था। समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान 36 मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय ₹ 7,858.86 करोड़ का 50.69 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।

2.3.7 अधिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप बचतें

2.3.7.1 अनावश्यक / अधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 41 प्रकरणों में जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 1,418.56 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

2.3.7.2 निधियों का अधिक / अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचतें पूर्वानुमानित हों, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन अधिक / अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप, 20 अनुदानों के अन्तर्गत 109 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक बचत / आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा सितंबर 2017 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.7.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

तेरह अनुदानों में, 82 उपशीर्षों के सापेक्ष केन्द्रांश का न प्राप्त होना, निधि की वास्तविक आवश्यकता, स्थापना व्यय में बचत और निधि की गैर आवश्यकता में बचतों के कारण विभिन्न मदों में पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इन 82 उपशीर्षों में ₹ 715.52 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 336.43 करोड़ (47.02 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 22 योजनाओं में शत प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 38.95 करोड़) दत्तमत्त अनुदान में सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (अ)** में वर्णित है और एक अनुदान में, एक उपशीर्ष के सापेक्ष केन्द्रांश का न प्राप्त होना, निधि की वास्तविक आवश्यकता, स्थापना व्यय में बचत और निधि की गैर आवश्यकता में बचतों के कारण विभिन्न मदों में पर्याप्त अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) हुए। इस एक उपशीर्ष में ₹ 52.22 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 26.13 करोड़ (50.04 प्रतिशत) का अभ्यर्पण एक विनियोग में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (ब)** में वर्णित है।

2.3.7.4 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

तीन प्रकरणों में, अभ्यर्पित की गयी राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन विभागों में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करती है। इन प्रकरणों में ₹ 19.26 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 19.48 करोड़ थी, परिणामस्वरूप, ₹ 0.22 करोड़ का अविवेकपूर्ण रूप से अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिये गये हैं।

2.3.7.5 अनुमानित बचतें जो अभ्यर्पित नहीं हुई

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय 13 के खण्ड 1 का प्रस्तर 124 यह प्रकट करता है कि प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग-II) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत के अन्तिम विवरण तैयार करने चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2016-17 के अंत में, 16 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पांच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सन्निहित राशि ₹ 4,785.83 करोड़ (कुल बचत¹ का 47.19 प्रतिशत) थी, **परिशिष्ट-2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 10,116.39 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से ₹ 617.88 करोड़ अभ्यर्पित किया गया था और परिणामस्वरूप, ₹ 9,498.51 करोड़ (₹ 10,116.39 करोड़ की बचत का 93.89 प्रतिशत), अभ्यर्पण नहीं हुआ, इसे **परिशिष्ट-2.9** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, 11 प्रकरण दत्तमत्त में और एक प्रकरण भारत में (₹ 10 करोड़ से अधिक निधियों का अभ्यर्पण), ₹ 547.11 करोड़ दत्तमत्त में एवं ₹ 26.13 करोड़ भारत में (कुल ₹ 573.24 करोड़) मार्च 2017 के अंतिम कार्य दिवस में अभ्यर्पित किया गया {**परिशिष्ट-2.10(अ)** और **परिशिष्ट-2.10(ब)**}। यह अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य कार्यों के प्रयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.7.6 व्यय के सापेक्ष विनियोग

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से पता चला कि 58 प्रकरणों में बचत, प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक एवं 44 प्रकरणों में कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थीं (**परिशिष्ट-2.11**)। ₹ 10,141.52 करोड़ की कुल बचत के विरुद्ध 22 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 33 प्रकरणों में ₹ 9,749.41 करोड़, (96.13 प्रतिशत)² की बचत हुई जैसा कि **तालिका-2.7** में प्रदर्शित है।

तालिका-2.7: ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों / विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)					
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व - दत्तमत्त					
1.	04	न्यायिक प्रशासन	177.25	54.67	30.84
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	2,866.81	1,284.98	44.82
3.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	5,938.56	1,020.53	17.18
4.	10	पुलिस एवं कारागार	1,589.83	149.77	9.42
5.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	6,513.93	1,313.18	20.16
6.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,775.94	452.31	25.47
7.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1,161.10	416.29	35.85
8.	15	कल्याण	1,663.21	504.66	30.34
9.	16	श्रम एवं रोजगार	219.74	72.37	32.93
10.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	893.88	252.03	28.20
11.	19	ग्रामीण विकास	1,117.99	485.65	43.44

¹ कुल बचतें ₹ 1,01,41.52 करोड़।

² प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

12.	20	सिंचाई व बाढ़	461.65	100.57	21.78
13.	22	लोक निर्माण	707.66	61.65	8.71
14.	23	उद्योग	230.58	106.40	46.14
15.	25	खाद्य	377.27	171.66	45.50
16.	27	वन	648.38	210.08	32.40
17.	28	पशुपालन	277.68	73.87	26.60
18.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,241.11	542.21	43.69
19.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	344.49	138.15	40.10
योग			28,207.06	7,411.03	26.27
राजस्व-भारित					
1.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	4,010.56	226.69	5.65
योग			4,010.56	226.69	5.65
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	03	मंत्रियों का समूह	100.00	81.31	81.31
2.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	81.70	74.61	91.32
3.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	394.13	310.53	78.79
4.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	559.06	152.73	27.32
5.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	484.32	174.45	36.02
6.	19	ग्रामीण विकास	772.10	70.26	9.10
7.	20	सिंचाई व बाढ़	772.68	296.28	38.34
8.	21	ऊर्जा	480.64	314.05	65.34
9.	22	लोक निर्माण	1,679.57	323.56	19.26
10.	26	पर्यटन	189.90	71.64	37.73
11.	27	वन	165.15	64.46	39.03
12.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	325.23	117.96	36.27
13.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	119.12	59.85	50.24
योग			6,123.60	2,111.69	34.48
महायोग			3,83,41.22	97,49.41	25.43

स्रोत : विनियोग लेखे।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुए (सितंबर 2017)।

2.3.7.7 निरन्तर बचतें

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 47 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई (तालिका-2.8)।

तालिका-2.8: पिछले पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची (2012-13 से 2016-17)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
राजस्व-दत्तमत						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	50.90	36.52	35.73	29.67	54.67
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	64.40	1,466.73	1,037.70	669.86	1,284.98
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	549.18	116.17	480.27	786.13	1,020.53
4.	08-आबकारी	1.02	2.02	1.44	1.91	5.13
5.	10- पुलिस एवं कारागार	32.17	23.71	100.55	60.74	149.77
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	567.60	635.48	741.48	811.98	1,313.18
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	133.41	116.11	397.34	514.02	452.31
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	153.22	308.25	175.86	299.99	416.29
9.	14-सूचना	1.84	1.16	1.01	2.19	4.76
10.	15-कल्याण	191.96	178.11	342.56	396.89	504.66
11.	16-श्रम एवं रोजगार	36.45	28.70	58.20	86.03	72.37

12.	17- कृषि कर्म एवं अनुसंधान	131.83	186.93	91.09	215.51	252.03
13.	18- सहकारिता	6.03	8.53	7.93	6.60	16.69
14.	19- ग्रामीण विकास	133.00	179.22	651.46	126.96	485.65
15.	20-सिंचाई व बाढ़	31.45	36.48	63.40	49.57	100.57
16.	22- लोक निर्माण	56.85	95.65	205.45	119.55	61.65
17.	23- उद्योग	11.32	20.89	14.02	34.66	106.40
18.	24-परिवहन	5.90	3.22	5.27	5.60	11.69
19.	25- खाद्य	230.84	226.55	224.72	129.08	171.66
20.	26-पर्यटन	30.05	13.43	42.46	4.17	18.69
21.	27-वन	27.10	31.00	119.93	80.72	210.08
22.	28-पशुपालन	9.04	24.93	33.92	24.21	73.87
23.	29-उद्यान विकास	7.19	40.87	41.31	61.45	49.46
24.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	114.39	210.01	269.50	490.39	542.21
25.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	36.68	58.99	95.59	117.85	138.15
राजस्व-प्रभारित						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	5.87	5.52	7.59	8.77	28.12
2.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	41.44	646.03	657.44	414.76	226.69
3.	09-लोक सेवा आयोग	1.93	2.40	1.59	1.64	9.49
4.	22-लोक निर्माण	1.02	1.75	4.71	5.09	1.38
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	01- विधान मण्डल	22.00	22.00	19.97	23.50	9.93
2.	04-न्यायिक प्रशासन	3.76	7.94	19.54	29.06	38.67
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	9.12	13.78	4.85	4.42	74.61
4.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	20.60	40.81	23.09	15.31	310.53
5.	10- पुलिस एवं कारागार	43.76	46.89	7.55	2.91	17.12
6.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	122.03	184.55	189.88	370.80	152.73
7.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	230.97	188.14	24.27	33.80	32.28
8.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	307.99	275.08	477.85	157.08	174.45
9.	15-कल्याण	3.54	6.75	74.29	39.12	17.66
10.	19- ग्रामीण विकास	132.55	62.82	219.63	51.80	70.26
11.	20- सिंचाई व बाढ़	256.27	609.30	247.86	397.59	296.28
12.	21- ऊर्जा	368.40	325.76	361.66	102.42	314.05
13.	23- उद्योग	23.69	28.21	25.81	16.29	34.66
14.	24-परिवहन	43.95	95.18	30.00	59.21	44.41
15.	26-पर्यटन	55.32	47.68	179.95	63.10	71.64
16.	27-वन	16.32	18.82	8.37	71.35	64.46
17.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	203.71	300.94	299.68	134.77	117.96
18.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	54.28	81.60	42.37	61.52	59.85

स्रोत: विनियोग लेखे।

सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (सितंबर 2017)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के राज्य वित्त प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.8 बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण

सरकार समर्पित निधि से धनराशि अंतरण कर धनराशि जमा करके, सरकार के दायित्वों को शोधन करने हेतु, वैयक्तिक जमा खाता (वै ज खा) खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम-8) के प्रावधानों के अनुसार, निधियों का आहरण तुरन्त व्यय हेतु केवल आवश्यकता में ही हो सकता है और निवेश अथवा अन्यत्र जमा के लिए सरकारी खाते से निधियों का आहरण वित्त

विभाग की पूर्व सहमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए, निधियों का आहरण करके लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध हैं।

कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित सूचना से यह पाया गया कि ₹ 537.84 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार के विभागों द्वारा माह मार्च 2017 में आहरित कर जमा शीर्षों यथा “8338-स्थानीय निधियों के जमा, 8443-सिविल जमा और 8448-स्थानीय निकायों के जमा, में बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु जमा की गई। सिविल जमा 8443-वै ज खा-106 के संबंध में प्रशासक को चाहिए की वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में खाते को बंद कर अवितरित शेष को समेकित निधि में अन्तरित करें। जमा शीर्षों में रखे ₹ 537.84 करोड़ में से ₹ 185.33 करोड़ वै ज खा (मुख्य शीर्ष 8443-106) वर्ष 2016-17 के अंत में रखे हुए थे। वर्ष 2016-17 के दौरान वै ज खा की स्थिति तालिका-2.9 में दी गयी है।

तालिका-2.9: वर्ष 2016-17 के दौरान वै जमा लेखों की स्थिति (मुख्य शीर्ष 8443-106)

(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अंतिम अवशेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
25	229.24	19	84.24	25	128.15	19	185.33

ऊपर दी गयी तालिका-2.9 दर्शाती है कि कुल व्यक्तिक जमा खातों की संख्या व उनमें निहित धनराशि विगत वर्षों की तुलना में घटी।

मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के लेखाओं की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के अंत में जमा खातों की संख्या में कमी एवं धनराशि में वृद्धि हुई है। जमा खातों की 2014-15 से 2016-17 की स्थिति तालिका-2.10 में दिखायी गयी है।

तालिका-2.10: जमा लेखों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

जमा शीर्ष	2014-15		2015-16		2016-17	
	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि	खातो की संख्या	धनराशि
8338-स्थानीय निधि जमा	6	76.39	05	82.28	05	90.98
8443-सिविल जमा	11	106.30	06	130.74	05	123.71
8448-स्थानीय निकाय जमा	20	61.55	17	33.08	17	38.18
समग्र अवरुद्ध निधि/स्थानान्तरण	37	244.24	28	246.10	27	252.87

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी देहरादून के अभिलेख।

इन लेखों की समीक्षा के दौरान देखा गया कि ₹ दो करोड़, ₹ 18.22 करोड़ और ₹ 11.88 करोड़ क्रमशः वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के अन्त में, 26 और 31 मार्च के बीच, बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्षों में जमा किये गये हैं (परिशिष्ट-2.12)।

जिलाधिकारी (जि अ) देहरादून के वैयक्तिक खाता लेखा (वै खा ले) की विस्तृत समीक्षा में पाया गया कि बजट का व्यपगत होने से बचाने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में विभिन्न लेखाशीर्षों

से ₹ 11.88 करोड़ की धनराशि नकदी जमा के माध्यम से हस्तान्तरित हुई जैसा कि तालिका-2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.11: वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त में जिलाधिकारी, देहरादून के पी एल ए में निधियों का हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

निधि स्थान्तरण की तिथि	कहाँ से स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष)	कहाँ को स्थानान्तरित (लेखाशीर्ष जमा)	जमा शीर्ष में धनराशि स्थानान्तरित
31 मार्च 2017	2250-00-800-01	8443-00-106-00	11.88
समग्र स्थानान्तरित निधि			11.88

स्रोत: मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून के अभिलेख।

वर्ष 2016-17 के अंतिम दिन में ₹ 11.88 करोड़ की निधि के अंतरण के संबंध में पूछे जाने पर वै ज खा के प्रशासक द्वारा सूचित किया गया की निधियों के अंतरण का विवरण और वै ज खा उसके अंतरण करने के कारणों से संबन्धित विभागों में सूचना प्राप्त कर अवगत कराया जाएगा।

आगे, यह देखा गया की जिलाधिकारी, देहरादून के वै ज खा में अंतिम अवशेष ₹ 87.49 करोड़, ₹ 119.50 करोड़ और ₹ 112.07 करोड़ क्रमशः 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017 का वै ज खा के बंद न करने के कारण रखा हुआ था।

इस प्रकार, अतिरिक्त अंतिम अवशेष और विभिन्न विभागों से किए गए पत्राचार में यह दिखाया गया की प्रशासक द्वारा इस प्रकार के खातों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में बंद करने हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास एवं अनुदान संख्या 15-कल्याण के अंतर्गत वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक की अवधि के लिए व्ययों एवं प्राप्तियों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई।

अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से 18.62 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से 18.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.12 से सारांशित है।

तालिका-2.12: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत में	
							बचतें	व्यय में विचरण
2215 तथा 2217- जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	2014-15	659.70	290.69	950.39	774.53	175.86	18.50	-
	2015-16	513.63	416.70	930.33	630.34	299.99	32.25	(-)18.62
	2016-17	1,083.08	78.01	1,161.09	744.80	416.29	35.85	(+)18.16

स्रोत: विनियोग लेख।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 175.86 करोड़ (18.50 प्रतिशत) और ₹ 416.29 करोड़ (35.85 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है। वर्ष

2016-17 के दौरान, ₹ 78.01 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि, मूल प्रावधान (₹ 1,083.08 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 744.80 करोड़) से अधिक था।

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में (₹ 50 लाख से अधिक किसी भी वर्ष में) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विवरण प्रकट हुआ, जैसा की तालिका-2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.13: अनुदान में पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विवरण

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विवरण (₹ लाख में)		विवरण (प्रतिशत में)	
		2014-15	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1.	2215-01-101-01	55.00	0.00	56.77	(-)55.00	(+)56.77	(-)100.00	--
2.	2215-01-101-05	18,399.11	16,539.81	15,792.19	(-)1,859.30	(-)747.62	(-)10.11	(-)4.52
3.	2215-01-102-01	14,898.35	5,855.90	7,754.27	(-)9,042.45	(+)1,898.37	(-)60.69	(+)32.42
4.	2215-01-102-04	1,872.57	74.66	0.00	(-)1,797.91	(-)74.66	(-)96.01	(-)100.00
5.	2215-01-102-07	4,471.54	3,000.00	1,330.91	(-)1,471.54	(-)1,669.09	(-)32.91	(-)55.64
6.	2215-01-102-08	2,580.00	0.00	541.11	(-)2,580.00	(+)541.11	(-)100.00	--
7.	2215-01-102-11	500.00	392.80	361.85	(-)107.20	(-)30.95	(-)21.44	(-)7.88
8.	2215-01-102-13	1,500.00	0.00	0.00	(-)1,500.00	0.00	(-)100.00	0.00
9.	2215-01-102-97	9,844.87	3,100.00	0.00	(-)6,744.87	(-)3,100.00	(-)68.51	(-)100.00
10.	2215-01-190-03	2,500.00	2,500.00	4,450.00	0.00	(+)1,950.00	0.00	(+)78.00
11.	2215-01-190-05	0.00	0.00	3,000.00	0.00	(+)3,000.00	0.00	--
12.	2215-01-800-04	300.00	0.00	100.00	(-)300.00	(+)100.00	(-)100.00	--
13.	2215-01-800-08	0.00	0.00	200.00	0.00	(+)200.00	0.00	--
14.	2215-02-105-01	13,856.98	3,709.60	18,762.73	(-)10,147.38	(+)15,053.13	(-)73.23	(+)405.79
15.	2215-02-106-03	1,304.37	58.57	699.33	(-)1,245.80	(+)640.76	(-)95.51	(+)1,094.01
16.	2215-02-107-01	0.00	1,724.00	0.00	(+)1,724.00	(-)1,724.00	-----	(-)100.00
17.	2217-03-191-03	2,350.89	7,241.74	5,022.91	(+)4,890.85	(-)2,218.83	(+)208.04	(-)30.64
18.	2217-03-800-01	1,269.87	17,036.00	14,331.36	(+)15,766.13	(-)2,704.64	(+)1,241.55	(-)15.88
19.	2217-80-001-03	346.02	239.94	220.93	(-)106.08	(-)19.01	(-)30.66	(-)7.92
20.	2217-80-800-03	15.91	123.35	76.70	(+)107.44	(-)46.65	(+)675.30	(-)37.82
21.	4215-01-101-01	200.00	56.44	0.00	(-)143.56	(-)56.44	(-)71.78	(-)100.00
22.	4215-01-101-03	5,790.70	2,837.12	8,495.44	(-)2,953.58	(+)5,658.32	(-)51.01	(+)199.44
23.	4215-01-102-03	3,636.88	1,577.90	1,294.64	(-)2,058.98	(-)283.26	(-)56.61	(-)17.95
24.	4215-01-102-04	8.31	70.90	0.00	(+)62.59	(-)70.90	(+)753.19	(-)100.00
25.	4215-01-102-05	0.00	0.00	11,487.42	0.00	(+)11,487.42	0.00	--
26.	4217-03-191-97	7,312.30	11,265.28	8,657.82	(+)3,952.98	(-)2,607.46	(+)54.06	(-)23.15
27.	4217-03-800-01	6,616.46	22,103.24	471.93	(+)15,486.78	(-)21,631.31	(+)234.06	(-)97.86

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखें।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2015-16 के दौरान 60.88 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 18.26 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.14 से सारांशित है।

तालिका-2.14: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के समक्ष वास्तविक व्यय की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत में	
							बचतें	व्यय में विचरण
4215 तथा 4217	2014-15	695.50	18.00	713.50	235.65	477.85	66.97	-
	2015-16	390.38	145.80	536.18	379.11	157.07	29.29	(+)60.88
	2016-17	378.79	105.53	484.32	309.87	174.45	36.02	(-)18.26

स्रोत: विनियोग लेखें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 157.07 करोड़ (29.29 प्रतिशत) और ₹ 477.85 करोड़ (66.97 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 18.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 695.50 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 235.65 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 145.80 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि मूल आवंटन (₹ 390.38 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 379.11 करोड़) से अधिक था।

इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान, ₹ 105.53 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 378.79 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 309.87 करोड़) से अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया, (एक करोड़ और अधिक) के मामले तालिका-2.15 में दिये गये हैं।

तालिका-2.15: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग
1.	2014-15	2215-01-102-12	1,000.00	0.00	1,000.00
2.		2215-01-800-01	0.00	150.00	150.00
3.		2217-03-191-01	1,659.00	0.00	1,659.00
4.		2217-03-191-97	1,580.00	0.00	1,580.00
5.		4215-01-101-04	2,500.00	0.00	2,500.00
6.	2015-16	2215-01-102-08	100.00	0.00	100.00
7.		2215-01-102-12	1,000.00	0.00	1,000.00
8.		2215-01-800-06	100.00	0.00	100.00
9.		2217-03-191-97	2,000.00	0.00	2,000.00
10.		2217-80-800-09	100.00	0.00	100.00
11.		4215-01-101-04	500.00	0.00	500.00
12.		4215-01-102-05	0.00	7,500.00	7,500.00
13.	2016-17	2215-01-102-97	2,000.00	0.00	2,000.00
14.		2215-01-800-06	100.00	0.00	100.00
15.		2217-03-191-01	2,370.00	0.00	2,370.00
16.		2217-03-191-04	1,00.00	0.00	100.00
17.		2217-03-191-97	1,400.00	0.00	1,400.00
18.		2217-03-800-13	300.00	0.00	300.00
19.		4215-01-101-01	200.00	0.00	200.00
20.		4215-01-101-04	400.00	0.00	400.00
			योग	17,409.00	7,650.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0215 और 0217 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.16 में सारांशित है।

तालिका-2.16: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0215 और 0217 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	संशोधित अनुमान से विचरण (प्रतिशत में)
2014-15	6.00	6.00	4.20	(-)1.80	30.00
2015-16	8.00	8.00	4.07	(-)3.93	49.13
2016-17	8.80	10.63	10.63	0.00	0.00

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखों

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी / आधिक्य पायी गयी जैसा की तालिका-2.17 में दिया गया है।

तालिका-2.17: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान प्राप्तियों की सारीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य / कमी	संशोधित अनुमान से विचरण (प्रतिशत में)
1.	0215-01-103	2014-15	3.00	3.00	0.00	(-)3.00	(-)100.00
		2015-16	4.00	4.00	0.00	(-)4.00	(-)100.00
		2016-17	4.40	7.36	7.36	0.00	0.00
2.	0217-03-800	2014-15	3.00	3.00	4.20	(+)1.20	40.00
		2015-16	4.00	4.00	4.07	(+)0.07	1.75
		2016-17	4.40	3.27	3.27	0.00	0.00

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखों

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय विचरण थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

अनुदान संख्या 15 - कल्याण

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष से 2.33 प्रतिशत की एवं वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वर्ष से 6.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.18 से सारांशित है।

तालिका-2.18: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतें (प्रतिशत में)	व्यय में वृद्धि (प्रतिशत में)
2225, 2235, 2250 एवं 2251- कल्याण	2014-15	1,171.05	238.91	1,409.96	1,067.40	342.56	24.30	-
	2015-16	1,228.17	260.96	1,489.13	1,092.24	396.89	26.65	(+)2.33
	2016-17	1,461.33	201.88	1,663.21	1,158.55	504.66	30.34	(+)6.07

स्रोत: विनियोग लेखों

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, ₹ 342.56 करोड़ (24.30 प्रतिशत) और ₹ 504.66 करोड़ (30.34 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है। वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 238.91 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,171.05 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 1,067.40 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 260.96 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,228.17 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 1,092.24 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 201.88 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था, क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,461.33 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 1,158.55 करोड़) से अधिक था।

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में (₹ 50 लाख से अधिक किसी भी वर्ष में) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विवरण प्रकट हुआ, जैसा की तालिका-2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.19: अनुदान में पिछले वर्षों में व्यय की प्रवृत्ति में विवरण

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विवरण (₹ लाख में)		विवरण (प्रतिशत में)	
		2014-15	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
1.	2225-01-001-03	148.59	191.20	252.27	(+) 42.61	(+)61.07	(+)28.68	(+)31.94
2.	2225-01-001-05	896.71	1,042.64	1,061.64	(+)145.93	(+)19.00	(+)16.27	(+)1.82
3.	2225-01-001-06	0.00	69.53	12.42	(+) 69.53	(-)57.11	--	(-)82.14
4.	2225-03-102-01	0.00	700.99	45.37	(+) 700.99	(-)655.62	--	(-)93.53
5.	2225-03-277-01	5,301.37	1,211.70	21.34	(-)4,089.67	(-)1,190.36	(-)77.14	(-)98.24
6.	2235-02-101-20	4,702.75	4,733.34	5,990.88	(+)30.59	(+)1,257.54	(+)0.65	(+)26.57
7.	2235-02-102-01	14,167.05	14,292.18	13,239.56	(+)125.13	(-)1,052.62	(+)0.88	(-)7.37
8.	2235-02-102-03	19,060.36	19,317.37	18,960.50	(+)257.01	(-)356.87	(+)1.35	(-)1.85
9.	2235-02-102-06	4,558.93	1,496.93	4,036.82	(-)3,062.00	(+)2,539.89	(-)67.16	(+)169.67
10.	2235-02-103-01	0.00	69.34	141.61	(+)69.34	(+)72.27	--	(+)104.23
11.	2235-02-103-12	7,000.00	16,727.50	5,201.50	(+)9,727.50	(-)11,526.00	(+)138.96	(-)68.90
12.	2235-02-103-14	0.00	0.00	55.50	0.00	(+)55.50	0.00	--
13.	2235-02-103-15	8,779.50	8,228.17	11,683.54	(-)551.33	(+)3,455.37	(-)6.28	(+)41.99
14.	2235-02-103-20	36.25	101.29	235.80	(+)65.04	(+)134.51	(+)179.42	(+)132.80
15.	2235-02-103-24	200.00	100.00	100.00	(-)100.00	0.00	(-)50.00	0.00
16.	2235-02-104-06	1,078.65	2,526.12	1,993.46	(+)1,447.47	(-)532.66	(+)134.19	(-)21.09
17.	2235-02-800-04	379.50	70.00	150.00	(-)309.50	(+)80.00	(-)81.55	(+)114.29
18.	2235-02-800-07	13.91	52.53	0.00	(+)38.62	(-)52.53	(+)277.64	(-)100.00
19.	2235-60-102-05	22,085.33	22,658.96	32,040.18	(+)573.63	(+)9,381.22	(+)2.60	(+)41.40
20.	2235-60-102-06	231.28	1,203.07	1,966.84	(+)971.79	(+)763.77	(+)420.18	(+)63.49
21.	2235-60-107-03	723.31	1,160.89	884.15	(+)437.58	(-)276.74	(+)60.50	(-)23.84
22.	2235-60-200-03	2,149.67	2,833.71	2,833.93	(+)684.04	(+)0.22	(+)31.82	(+)0.01
23.	2235-60-200-07	200.00	0.00	3,350.00	(-)200.00	(+)3,350.00	(-)100.00	--
24.	2235-60-200-08	100.00	0.00	127.43	(-)100.00	(+)127.43	(-)100.00	--
25.	2235-60-800-01	6,206.91	4,647.48	5,008.04	(-)1,559.43	(+)360.56	(-)25.12	(+)7.76
26.	2235-60-800-06	380.01	405.63	0.00	(+)25.62	(-)405.63	(+)6.74	(-)100.00
27.	2250-00-800-01	3,778.59	2,010.84	2,625.62	(-)1,767.75	(+)614.78	(-)46.78	(+)30.57
28.	2250-00-800-05	329.27	324.24	568.25	(-)5.03	(+)244.01	(-)1.53	(+)75.26
29.	2250-00-800-08	0.00	0.00	100.00	0.00	(+)100.00	0.00	--
30.	2250-00-800-16	1,428.75	150.93	103.37	(-)1,277.82	(-)47.56	(-)89.44	(-)31.51
31.	2250-00-800-19	200.00	25.00	0.00	(-)175.00	(-)25.00	(-)87.50	(-)100.00
32.	2250-00-800-20	400.00	300.00	0.00	(-)100.00	(-)300.00	(-)25.00	(-)100.00
33.	2250-00-800-22	0.00	65.00	0.00	(+)65.00	(-)65.00	--	(-)100.00
34.	2250-00-800-23	200.00	0.00	0.00	(-)200.00	0.00	(-)100.00	0.00
35.	2250-00-800-26	0.00	70.00	200.00	(+)70.00	(+)130.00	--	(+)185.71
36.	4235-02-102-01	4,905.50	16.60	300.00	(-)4,888.90	(+)283.40	(-)99.66	(+)1,707.23
37.	4235-02-103-10	1,600.86	400.00	69.88	(-)1,200.86	(-)330.12	(-)75.01	(-)82.53
38.	4250-00-800-05	114.60	0.00	0.00	(-)114.60	0.00	(-)100.00	0.00
39.	4250-00-800-06	0.00	0.00	150.00	0.00	(+)150.00	0.00	--
40.	4250-00-800-09	396.24	0.00	0.00	(-)396.24	0.00	(-)100.00	0.00
41.	4250-00-800-10	599.39	100.00	0.00	(-)499.39	(-)100.00	(-)83.32	(-)100.00
42.	4250-00-800-11	0.00	965.95	1,291.23	(+)965.95	(+)325.28	--	(+)33.67

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2015-16 के दौरान 78.92 प्रतिशत की कमी तथा वर्ष 2016-17 के दौरान 6.77 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.20 में सारांशित है।

तालिका-2.20: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान मूल/ वास्तविक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारिकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचतें	प्रतिशत में	
							बचतें	व्यय में विचरण
4225, 4235 तथा 4250	2014-15	144.93	12.11	157.04	82.75	74.29	47.31	-
	2015-16	31.56	25.00	56.56	17.44	39.12	69.17	(-) 78.92
	2016-17	36.28	0.00	36.28	18.62	17.66	48.68	(+) 6.77

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान ₹ 17.66 करोड़ (48.68 प्रतिशत) और ₹ 74.29 करोड़ (47.31 प्रतिशत) के बीच बचतों की निरन्तर प्रवृत्ति दर्शित हुई है एवं वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 12.11 करोड़ का अनुपूरक आवंटन अनावश्यक था क्योंकि मूल प्रावधान (₹ 144.93 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 82.75 करोड़) से अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2015-16 के दौरान, ₹ 25.00 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 31.56 करोड़), वास्तविक व्यय (₹ 17.44 करोड़) से अधिक था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

निश्चित उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान विभाग द्वारा समग्र प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया, (एक करोड़ और अधिक) के मामले तालिका-2.21 में दिये गये हैं।

तालिका-2.21: वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

क्रम संख्या	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग (₹ लाख में)
1.	2014-15	2235-02-102-16	0.00	750.00	750.00
2.		2235-02-103-14	0.01	144.01	144.02
3.		2235-02-103-21	50.00	100.00	450.00
4.		2250-00-800-14	0.00	300.00	300.00
5.		4235-02-102-03	100.00	0.00	100.00
6.	2015-16	2235-60-200-07	0.00	200.00	200.00
7.		2235-60-200-08	0.00	150.00	150.00
8.		4235-02-102-03	100.00	0.00	100.00
9.		4250-00-800-01	300.00	0.00	300.00
10.	2016-17	2225-03-800-09	100.00	0.00	100.00
11.		2235-02-800-01	5,010.00	0.00	5,010.00
12.		2235-60-800-06	400.00	0.00	400.00
13.		2250-00-800-06	500.00	0.00	500.00
14.		2250-00-800-19	200.00	0.00	200.00
15.		2250-00-800-20	300.00	0.00	300.00
16.		2250-00-800-30	100.00	0.00	100.00
17.		2250-00-800-31	100.00	0.00	100.00
18.		4235-02-102-03	100.00	0.00	100.00
19.		4250-00-800-01	300.00	0.00	300.00
20.		4250-00-800-08	100.00	0.00	100.00
21.	4250-00-800-10	100.00	0.00	100.00	
योग			8,160.01	1,644.01	9,804.02

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुदान के मुख्य शीर्ष 0235 एवं 0250 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.22 में सारांशित है।

तालिका-2.22: राजस्व प्राप्तियों की स्थिति, मुख्य शीर्ष 0235 तथा 0250

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य / कमी	संशोधित अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में)
2014-15	10.01	10.01	5.45	(-)4.56	45.55
2015-16	16.67	17.27	11.71	(-)5.56	32.19
2016-17	18.94	46.17	46.13	(-)0.04	0.09

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

निश्चित शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा की तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका-2.23: राजस्व प्राप्तियों की स्थिति, लघु शीर्ष 0235 तथा 0250

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/ कमी	संशोधित अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में)
1.	0235-60-800	2014-15	6.01	6.01	0.88	(-)5.13	(-)85.36
		2015-16	11.67	11.67	6.09	(-)5.58	(-)47.81
		2016-17	12.84	17.10	17.10	0.00	0.00
2.	0250-00-102	2014-15	3.20	3.20	0.00	(-)3.20	(-)100.00
		2015-16	4.00	4.60	0.00	(-)4.60	(-)100.00
		2016-17	5.00	28.57	0.00	(-)28.57	(-)100.00
3.	0250-00-800	2014-15	0.80	0.80	4.57	(+)3.77	471.25
		2015-16	1.00	1.00	5.62	(+)4.62	462.00
		2016-17	1.10	0.50	29.03	(+)28.53	5,706.00

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा संशोधित अनुमानों के संबंध में उल्लेखनीय भिन्नता थी, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

2.5 कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान 91 इकाइयां अर्थात् 18 कोषागार तथा 71 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार देहरादून में और एक वेतन एवं लेखा कार्यालय, नई दिल्ली में थे। वर्ष 2016-17 में 51 इकाइयों³ के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गयी जिसे तालिका-2.24 में समाहित किया गया है।

तालिका-2.24: कोषागारों की जाँच का परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	असमायोजित ए सी बिल	8.05
2.	पी एल ए खातों से अनियंत्रित धन की निकासी	15.59
3.	वित्तीय वर्ष 2015-16 में पेंशन धारकों से स्रोत पर आयकर कटौती न करना	0.34

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2016-17।

उपरोक्त अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए कोषागार स्तर पर कठोर नियन्त्रण की आवश्यकता है।

³ 21 कोषागार और 30 उपकोषागार।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं. 2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु लेना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। वर्ष 2016-17 के अंत तक आकस्मिकता निधि कोष में ₹ 750 करोड़ जमा रहा। निधि से अग्रिम आहरण उसी वित्तीय वर्ष में राज्य की संचित निधि से प्रतिपूर्ति किया जाना चाहिए। तथापि, उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा-5 (2001 के अधिनियम 2) के अनुसार आवश्यकता के रूप में वर्ष 2016-17 में ₹ 227.70 करोड़ अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2017 तक विधायी द्वारा अधिकृत होने के पश्चात सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे (**परिशिष्ट-2.13**)।

आगे संवीक्षा में पाया गया कि शासन ने वर्ष 2015-16 से संबन्धित आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 63.14 करोड़ की धनराशि की प्रतिपूर्ति (अगस्त 2017) तक नहीं की थी। अनुदानों एवं मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत निधि की वर्षवार प्रतिपूर्ति न हुयी निधियों को, **परिशिष्ट-2.14** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पूँजीगत व्यय (₹ 15.46 करोड़) जो प्रत्याशित था को पूरा करने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिम का आश्रय लिया तथा इस प्रकार कोष के संचालन करने वाले नियमों का उल्लंघन हुआ।

2.7 (अ) सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल (ए सी बिल) में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पहले के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2017 तक ₹ 8.06 करोड़ के 123 ए सी बिलों का निस्तारण अवशेष पड़ा रहा। वर्षवार विवरण **तालिका-2.25** में दिया गया है।

तालिका-2.25 : सार आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का प्रस्तुतीकरण लम्बित रहना (मार्च 2017 के अनुसार)

वर्ष	अवशेष ए सी बिल	
	संख्या	राशि
2014-15 तक	06	0.35
2015-16	03	0.01
2016-17	114	7.70
योग	123	8.06

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) उत्तराखण्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

₹ 8.06 करोड़ के कुल बकाये डी सी बिल में, ₹ 4.43 करोड़ के 47 डी सी बिल चुनाव विभाग से सम्बन्धित थे।

वर्ष 2016-17 तक कार्यालय / विभाग वार लम्बित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित बिलों के विलम्बन को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट-2.15** में दिया गया है।

सार आकस्मिक बिल आहरित किए जाने के बाद लम्बे समय तक विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्रस्तुत न किये जाने से दुर्विनियोजन का जोखिम है और इसलिये इसके सघन अनुश्रवण की आवश्यकता है।

2.7 (ब) असमाधानित व्यय

व्यय को बजट आवंटनों के अन्तर्गत रखने और उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त करने के लिए वित्तीय नियमों में निहित है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाशोधन को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों के पक्ष से चूकें, वर्ष 2016-17 के दौरान भी निरन्तर जारी रहीं।

ऐसा समाधान वर्ष 2016-17 के दौरान 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों में से 32 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (51.61 प्रतिशत) द्वारा, ₹ 30,225.72 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 24,265.73 करोड़ (80.28 प्रतिशत), पूर्णतः किया गया।

आठ नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 1,575.76 करोड़ (कुल व्यय का 5.21 प्रतिशत) सम्मिलित हैं, वर्ष 2016-17 के दौरान असमाधानित रहे, जैसा तालिका-2.26 में वर्णित है।

तालिका-2.26: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2016-17 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाडपुर देहरादून	62.76
2.	आयुक्त, राहत राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन	319.24
3.	प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	390.81
4.	निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क उत्तराखण्ड देहरादून	36.28
5.	उपनिदेशक, निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड	663.08
6.	आयुक्त, श्रम उत्तराखण्ड शासन देहरादून	38.47
7.	वित्त नियंत्रक, जी बी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर	11.11
8.	प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून	54.01
योग		1,575.76

स्रोत: वी एन सी, महालेखाकार (लेखा व हकदारी), उत्तराखण्ड से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त विभागों के मुख्य नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन का कार्य करने में नाकाम रहने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। तथापि, अब तक (सितंबर 2017) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखों के समाधान न करने के फलस्वरूप निरस्त किए गए उप मुख्य शीर्ष को कुछ नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा चलन में जारी है।

गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु सरकार को चाहिए कि संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाशोधन को सुनिश्चित करें।

2.8 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं में पायी गई कमियाँ निम्नानुसार थीं:

- i. बजट साहित्य खण्ड-IV में क्षेत्र-‘क’ कर राजस्व में कतिपय मुख्य शीर्षों यथा मुख्य शीर्ष 0029,0039 के अंतर्गत लघुशीर्ष 900-घटाएँ वापसियाँ तथा मुख्य शीर्ष 0030 के उप मुख्य शीर्ष 01-न्यायिक स्टाम्प के अंतर्गत लघुशीर्ष-901-घटाएँ वापसियाँ का अंकन किया गया है, जबकि मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची पुस्तिका (खण्ड-I) में दिये गए सामान्य निर्देश के बिन्दु-2 में निर्देशित है कि क्षेत्र-‘क’ कर राजस्व के अधीन आने वाले मुख्य/उपमुख्य शीर्षों के संबंध में समुचित लघु शीर्षों के नीचे अलग उप शीर्ष “घटाएँ वसूलियाँ” शीर्ष खोला जाना चाहिए।
- ii. बजट साहित्य खण्ड-V भाग-I के अनुसार मुख्य शीर्ष 3454-जनसंख्या के अंतर्गत अनुदान संख्या-07 में लघुशीर्ष 001-निदेशन एवं प्रशासन को उपमुख्यशीर्ष 02-सर्वेक्षण के अंतर्गत दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्षों की सूची के अनुसार, इसको उपमुख्यशीर्ष 01-जनगणना के अंतर्गत दर्शाया जाना चाहिए था।
- iii. बजट साहित्य के खंड-V भाग-II के अनुदान संख्या-14 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत उपमुख्यशीर्ष 60-अन्य अंकित है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची में उपमुख्यशीर्ष 60-अन्य भवन होना चाहिए था।
- iv. बजट साहित्य के खंड-V भाग-III के अनुदान संख्या-22 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अंतर्गत उपमुख्य शीर्ष 80-सामान्य के अन्तर्गत लघु शीर्ष 102-रखरखाव तथा मरम्मत के रूप में दर्शाया गया है, जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्षों की सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 80 के अन्तर्गत लघु शीर्ष 053-रखरखाव तथा मरम्मत होना चाहिए था।
- v. बजट पुस्तिका में मुख्य शीर्ष-2245 के अन्तर्गत केवल एक उपमुख्य शीर्ष 05-राज्य आपदा मोचन निधि को दर्शाया गया है, जिसके अन्तर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय प्रावधानित है। जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार प्रावधानित उपमुख्य शीर्ष 01-सूखा तथा 02-बाढ़ व चक्रवात हैं।
- vi. बजट साहित्य के खंड-V भाग-II के अनुदान संख्या-15 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत उपमुख्यशीर्ष 02-समाज कल्याण के अंतर्गत लघु शीर्ष 104-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघु लेखा शीर्ष सूची के अनुसार उपमुख्यशीर्ष 02 के अंतर्गत लघु शीर्ष 104-‘वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण होना चाहिए था।
- vii. बजट साहित्य के खंड-V भाग-III के अनुदान संख्या-17 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि फर्म के अंतर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य योजनाएँ खोला गया है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार यह अन्य व्यय होना चाहिए था।
- viii. बजट साहित्य के खंड-V भाग-I के अनुदान संख्या-06 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत लघुशीर्ष 800-अन्य भवन को दर्शाया गया है जबकि लेखाओं के मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची के अनुसार लघुशीर्ष 800-अन्य व्यय होना चाहिए था।

- ix. बजट साहित्य के खंड-V भाग-IV के अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2211-परिवार कल्याण के अंतर्गत लघुशीर्ष 101-"अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान" दर्शाया गया है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में 'लघुशीर्ष 101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएँ' दर्शाया गया है।
- x. मुख्य शीर्ष 2052 के अंतर्गत लघुशीर्ष 800 अन्य व्यय अंकित है जबकि मुख्य एवं लघुशीर्ष की सूची में लघु शीर्ष "091 संलग्न कार्यालय" एवं "092-अन्य कार्यालय" ही प्रावधानित है।

इस प्रकार की अनियमितताएं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 में भी उल्लेखित थी। तथापि, सरकार द्वारा इसका संज्ञान नहीं लिया गया।

2.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 41,930.08 करोड़ के समग्र अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 4,684.19 करोड़ की बचत हुयी। तीन अनुदानों एवं एक विनियोग में ₹ 5,457.33 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत नियमित किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचतें बजट अनुमान में कमी को इंगित करती हैं। 41 प्रकरणों में, ₹ 1,418.56 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 109 प्रकरणों में, निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था, परिणामस्वरूप या तो यह बचतों में अथवा प्रावधानों पर आधिक्य सिद्ध हुआ। विभागों ने इन निधियों का अन्य विकास उद्देश्यों पर उपयोग की संभावना न छोड़ते हुए वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस को ₹ 573.24 करोड़ समर्पित किये। तीन प्रकरणों में ₹ 0.22 करोड़ वास्तविक बचतों से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

राज्य सरकार निर्धारित कर सकती है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचतों का निर्धारण और अभ्यर्षण हो जाए ताकि बचतों को प्रभावी तरह से अन्य क्षेत्रों / योजनाओं में उपयोग में लिया जा सके।

आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 15,323.44 करोड़, जो वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक संबन्धित है राज्य विधान मंडल से अभी भी नियमित कराया जाना था।

राज्य सरकार व्यय बजट हेतु अधिक सखती से योजना बना सकती है जिससे अनुमोदित अनुदानों एवं विनियोगों के आधिक्य से बचा जा सके। आगे, राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आधिक्य व्यय के स्पष्टीकरण समय से प्रस्तुत किये जाये जिससे इसे नियमित किया जा सके।

राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2017 में अवमुक्त धनराशि ₹ 537.84 करोड़ बजट अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में जमा किये गये।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु विचार कर सकती है कि मार्च में अवमुक्त धनराशि को बजट के व्यपगत होने से बचाने के लिए जमा शीर्ष में स्थांतरित नहीं किया जाए।

29 प्रकरणों में ₹ 227.70 करोड़ की धनराशि आकस्मिकता निधि के अंतर्गत स्वीकृत की गई थी और धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना शेष रह गया था।

राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम, आकस्मिक प्रकार के खर्चों के लिए ही दिये जाएँ और निधि से निकली गयी राशि की समय पर प्रतिपूर्ति की जाए।

नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा मार्च 2017 तक ₹ 8.06 करोड़ के आहरित आकस्मिकता बिलों के सापेक्ष विस्तृत आकस्मिकता बिलों को प्रस्तुत नहीं किया गया था (मार्च 2017)।

राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि सार आकस्मिक बिल में लिए गए अग्रिम को नियत समय में समायोजित करने के लिए एक कठोर अनुश्रवण तंत्र को स्थापित किया जाए।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ परिलक्षित हुईं। 30 नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से मिलान नहीं किया था। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार के बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में अनियमितताएँ देखी गयीं; जिन पर पूर्व में कार्यवाही नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को दिशा निर्देश देने पर विचार कर सकती है कि वे समयबद्ध / अवधि अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से मिलान कराएँ।

